



कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी (M.P.), मध्य प्रदेश

दस्तावेज संख्या

दिनांक

पृष्ठ संख्या

कक्षा सं. 03013811/2 कक्षा आरंभ की तिथि 31.03.2021

वि. सं. 03013811/2

प्राथमिक

VIDYAVATI PUBLIC CENTRAL SCHOOL

विषय नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के अधीन नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 11 के अधीन स्कूल मान्यता प्रमाण पत्र

संबंधित माहौल

अपने अधिनियम सं. 01/01/1900 तथा इस संबंध में स्कूल से पत्राचार/ निवेदन के संदर्भ में मैं आपका स्कूल VIDYAVATI PUBLIC CENTRAL SCHOOL, BHI ROAD BEHIND को कक्षा Nursery से कक्षा 8 तक के लिए दिनांक 01/03/2021 से 31/03/2021 तक मान्यता के लिए मान्यता प्रदान करता हूँ।

असतत स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन होगी-

- मान्यता विस्तारित नहीं होगी तथा कक्षा 8 से ऊपर की मान्यता प्राप्तता की कोई बाधा किसी भी रूप में निर्दिष्ट नहीं होगी।
- स्कूल नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपधारा 1) तथा नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपधारा 2) के उपधारा का पालन करेगा।
- स्कूल अपने पत्रों की सीमा के तहत समूह तथा कमजोर वर्ग के बालकों को कक्षा 1 में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। इस दृष्टि से, स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रवेशित बालकों को उस अनुपात में नि:शुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा देना जिस रूप में उसके वार्षिक आवृत्ति व्यय को पूरा करने हेतु इस प्रकार वार्षिक आवृत्ति सहायता या अनुदान प्राप्त होता है किन्तु न्यूनतम पत्रों पर प्रतिशत के अधीन होगा बशर्त कि जहां स्कूल पूरी स्कूल (प्रि-स्कूल) शिक्षा दी जाती है वहां अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (ग) के अंतर्गत प्रि-स्कूल में प्रवेश के लिए लागू होगी।
- धारा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्कूल को पूंजी से बैंक खाता उपलब्ध कराना होगा।
- सोसाइटी/स्कूल कोई भी कंपेंडेशन फीस का संग्रह नहीं करेगा तथा बालक या उसके पालक या अभिभावक के साथ किसी अन्योन्य क्रिया को नहीं अपनाएगा।
- स्कूल किसी भी बालक को प्रवेश देने से इनकार नहीं करेगा-
  - (क) आयु के संकट के अभाव में;
  - (ख) यदि प्रवेश के लिए निर्दिष्ट कालावधि के पश्चात् ऐसा प्रवेश चाहा गया है;
  - (ग) धर्म, जाति या मूलवंश, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर।
- स्कूल सुनिश्चित करेगा कि-
  - किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बालक को किसी कक्षा में रोमन या निष्कर्मित नहीं किया जाएगा;
  - किसी बालक को पारिस्थिक या मानसिक रूप से प्रभावित नहीं किया जाएगा;
  - प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी;
  - नियम 19 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा;
  - अधिनियम के उपधारा के अनुसार नि:शुल्क/विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समाहित किया जाएगा;
  - अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन निर्धारित न्यूनतम योग्यता अनुसार शिक्षकों की शर्तों की जाएगी, बशर्त कि वर्तमान में कार्यरत जो शिक्षक इस अधिनियम के प्रावधान होने पर न्यूनतम अर्हता नहीं रखते हैं, उन्हें अधिनियम के प्रावधान होने के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि में निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त करनी होगी।
  - शिक्षकों का अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन निर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करना होगा;
  - प्रावधान अधिनियम की शर्तों/विधियों में शिक्षक स्वयं भाग नहीं लेंगे/लेगी।
- स्कूल पर्यवेक्षक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमों का अनुसरण करेगा।
- अधिनियम की धारा 19 में निर्दिष्ट किए अनुसार स्कूल में उपलब्ध सूचना के अनुपात में स्कूल में बच्चों का नामांकन किया जाएगा।

*(Handwritten signatures)*

Vidya Vati Public Central School  
Bhind (M.P.)

- स्कूल द्वारा अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट स्कूल के मानक एवं मापदण्ड बनाए रखे जाएंगे। अंतिम निरीक्षण के समय स्कूल में उपलब्ध सुविधाएँ निम्नानुसार पाई गयीं:-

	सुविधाएँ	पोर्टल में दर्ज	वास्तविक स्थिति
8	स्कूल के भवन की स्थिति	स्वयं का भवन	स्वयं का भवन
9	स्कूल का कुल क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	130158	50000
10	स्कूल का निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	15032	15000
11	खेल मैदान का क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	115126	35000

ड. अधोसंरचना का विवरण

कक्षा	Rooms as	पोर्टल में दर्ज		वास्तविक स्थिति	
	per RTE	संख्या	औसत आकार (वर्ग फीट में)	संख्या	औसत आकार (वर्ग फीट में)
1	कक्षा आठवी तक उपयोग में आ रहे कक्षा कक्षा	25	600	25	500
2	कार्यालय कक्षा-सह-भण्डार कक्षा-सह-प्रधानाध्यापक कक्षा	2	300	2	300
3	भोजनालय-सह-भण्डार	0	0	0	0

च. अन्य सुविधाएँ

	पोर्टल में दर्ज	वास्तविक स्थिति	
1	क्या सभी सुविधाओं तक पहुंच बाधा रहित है हां/नहीं	हाँ	हाँ
2	पठन पाठन सामग्री (हस्ताक्षरित सूची अपलोड करें)	हाँ	हाँ
3	खेलकूद एवं खेल उपकरण (हस्ताक्षरित सूची अपलोड करें)	हाँ	हाँ
4	पुस्तकों की संख्या	700	150
5	पत्रिकाएँ/समाचार पत्र	5	2
6	पेयजल सुविधा का प्रकार	Tube Well	Pipe Water
7	पेयजल सुविधा की संख्या	4	2
8	शौचालय का प्रकार (भारतीय/पश्चिमी/नहीं)	Indian	Indian
9	लड़कों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या	4	4
10	लड़कियों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या	4	4
11	विकलांग बच्चों के लिए उपयुक्त शौचालयों की संख्या	1	0
12	क्या अग्नि सुरक्षा प्रणाली उपलब्ध है ? हां/नहीं	हाँ	हाँ

- लेखे संपरीक्षित किए जाएंगे तथा चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा सत्यापित होंगे और उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार होगा। प्रत्येक लेखाओं के विवरणों की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।
- आपकी स्कूल का मान्यता कोड नम्बर..03013811.. एवं डाईसकोड (DISE) 23030424521 है। इस कार्यालय के साथ पत्राचार में यह कोड नम्बर संदर्भित किए जाए।
- ऐसी रिपोर्ट और जानकारी स्कूल द्वारा प्रस्तुत की जाएगी, जो राज्य शिक्षा केंद्र/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षित की जाए, और स्कूल राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा, जैसा कि स्कूल के संचालन की कमियों को दूर करने के लिए अथवा मान्यता की शर्तों की निरन्तर पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जारी किए जाएं।
- सोसायटी/न्यास, यदि कोई हो, के पंजीयन का नवीकरण किया जाएगा।
- अन्य शर्तें संलग्न उपाबंध "तीन" के अनुसार होंगी।
- अधिनियम एवं नियम के उपबंधों और मान्यता की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने तथा सिद्ध हो जाने पर मान्यता वापस ले ली जाएगी।

*Accepted*  
*By*  
*18/08/20*

**Principal**  
Ndyanshi Public Central School  
Bhind (M.P.)

भवदीय,  
जिला शिक्षा अधिकारी  
जिला BHIND मध्यप्रदेश